

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल
:: आदेश ::



भोपाल दिनांक 13/02.2017

क्र. एफ 16-03/2016/ए-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा मेसर्स फुजित्सु आप्टेल प्रा.लि. द्वारा लगभग रु. 57.00 करोड़ के पूंजी निवेश से औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप, जिला रायसेन (म.प्र.) में आई.टी. सेक्टर हेतु विशेष प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति अनुसार पंजीकृत /अनुमोदित इकाईयों को वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कम्पनी अथवा उसकी वेण्डर इकाईयों एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अन्य इकाईयों को सबलीज पर दिये जाने की अनुमति दी जावे।
2. पार्क अंतर्गत स्थापित होने वाली इकाईयों को आई.टी. इनवेस्टमेंट पॉलिसी, 2014 अंतर्गत प्रावधान अनुसार सुविधाओं का लाभ शर्तों के अध्याधीन दिया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलमान)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

भोपाल, दिनांक 13/02.2017

क्रमांक एफ
प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला रायसेन।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लि., भोपाल।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स फुजित्सु आप्टेल प्रा.लि., डी-6, औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप, भोपाल-4620246
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग